

क्रमांक एफ 73-67/20-3/2008

प्रति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,
प्रित विहार, नई दिल्ली।

विषय :- अशासकीय शिक्षण संस्था परफेक्ट एकेडमी, मनावर जिला धार, मप्र को सीबीएसई/आई.सी.एस.ई.-नई दिल्ली से सन्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के संबंध में।

—0000—

राज्य शासन द्वारा नियुक्ति संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर संस्था को सीबीएसई. से सन्बद्धता हेतु यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

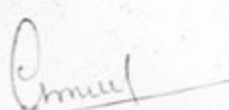
- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बॉर्ड से सन्बद्धता मिलने के उपरांत भी संस्था/समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा।
- (2) संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में सम्मिलित करना होगा।
- (3) शिक्षण संस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था के संबंध में समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम.के. दाण्डे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग


Manager
Perfect Academy (Khed)
Manawar (Dhar)

// 2 //

पृष्ठा क्रमांक एफ 73-67/20-3/2008

भोपाल, दिनांक 28/11/08

प्रतिलिपि :-

1-

सचिव, (संबंधित संस्था/समिति) अशासकीय शिक्षण संस्था परफेक्ट एकेडमी, मनावर जिला धार, म0प्र0 की ओर अग्रेषित। अशासकीय शिक्षण संस्था परफेक्ट एकेडमी, मनावर जिला धार, म0प्र0 को सीबीएसई./आई.सी.एसई. से सम्बंधित प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

- (1) संस्था सीबीएसई./आई.सी.एसई. के अनुरूप मापदण्डों की पूर्ति करती है अथवा नहीं, इसका परीक्षण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा किया जायेगा।
- (2) संस्था द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत आवेदन पत्र या शपथ-पत्र में दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर या उत्तका पालन नहीं करने पर अथवा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर या प्राप्त शिकायत जांच में रही पाये जाने पर राज्य शासन द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त दिया जा सकेगा।

2-

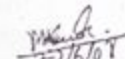
आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र., भोपाल ।

3-

जिला शिक्षा अधिकारी जिला धार, न0प्र0।

4-

ऑर्डर बुक ।


27/11/08
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग